रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 21 जुलाई, 1987/30 आषाढ़, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 1987

क्रमांक एल0एल0आर0 (डी) (6) 21/87-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 21 जुलाई, 1987 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

1987 का हिमाचल प्रदेश आध्यादेश सख्यांक 4.

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 1987

भारत गणराज्य के अठतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) में और संशोधन करने के लिए आध्यादेश ।

हिमाचल विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

और अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त कर लिए गए है;

अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 है ।

धारा 11 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 11 की उप-धारा (3) को लुप्त कर दिया जाएगा। (1983 का 17)

नई धारा 11-क का अन्त: स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 11-क इसके शीर्षक सहित, जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

"11-क अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति.— लोकायुक्त अपने अवमान की बाबत वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार रखेगा और उनका प्रयोग करेगा जोकि उच्च न्यायालय को प्राप्त होते हैं और, इस प्रयोजन के लिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबन्ध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उसमें किसी उच्च न्यायालय के प्रति किए गए निर्देशों का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रति किया गया निर्देश भी शामिल है;

(ख) धारा 18 की उप-धारा (1) लोकायुक्त को लागू नहीं होगी,

(ग) धारा 19 की उप-धारा (1) के परन्तुक में 'किसी संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त' के प्रति किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत लोकायुक्त को किया गया निर्देश भी शामिल है।"

4. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में 1 अप्रैल, 1986 से, "4000 रुपये" अंक और शब्द के लिए "9000 रुपये" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

शिमला :
21 जुलाई, 1987.

वाईस एडमिरल आर० के० एस० गांधी,
(सेवा निवृत) (पी० वी० एस० एम०, वीरचक्र,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Lokayukta Dutiya Sanshodhan Adhyadesh*, 1987 *under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

H. P. Ordinance No. 4 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas instructions of the President of India to promulgate this Ordinance have been obtained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Second Amendment) Ordinance, 1987. Short title.

2. Sub-section (3) of section 11 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter called the principal Act) shall be omitted. Amendment of section 11.

17 of 1983

3. After section 11 of the principal Act, the following new section 11-A, along with its heading, shall be added, namely:— Insertion of new section 11-A.

"11-A. *Power to punish for contempt.*—The Lokayukta shall have and exercise the same jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of itself as a High Court has and may exercise and, for this purpose, the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 shall have effect subject to the modifications that—

(*a*) the references therein to a High Court shall be construed as including a reference to the Lokayukta;

(*b*) sub-section (1) of section 18 shall not apply to the Lokayukta;

(*c*) in 'proviso to sub-section (1) of section 19 reference to Judicial Commissioner in any Union territory' shall be construed as including a reference to the Lokayukta."

Amendment of Second Schedule.

4. In the Second Schedule to the principal Act, with effect from the 1st April, 1986, for the word and figures "Rs. 4,000", the figures and word "9,000 rupees" shall be substituted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।